

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 जनवरी 2021—माघ 10, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2021

क्र.एफ-2-9-2021-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-33.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.6	मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत निःशुल्क अध्ययनरत् छात्रों की बजट उपलब्धता की स्थिति में धारा 12(2) के अनुसार फीस प्रतिपूर्ति की समय-सीमा को निर्धारित करने की योजना	जिला परियोजना समन्वयक	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.